

राजस्थान सरकार
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।

सामान्य प्रावधायी निधि के अस्थाई ऋण हेतु प्रार्थना पत्र
(सा.प्रा.नि.नियम 15(1) के अन्तर्गत)

सेवा में ,

.....
.....
.....

1. जी.पी.एफ खाता संख्या :
2. कर्मचारी का नाम एवं पद :
3. पिता/पति का नाम :
4. वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम :
5. आवेदित ऋण राशि :
6. ऋण/आहरण लेने का कारण :
7. अंतिम अस्थायी ऋण की राशि एवं दिनांक :
8. क्या अस्थायी ऋण की पूर्ण अदायगी हो :
चुकी है ।
9. पूर्ण अदायगी का माह

दिनांक

कर्मचारी के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)